



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1502/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5

दिनांक : 31.07.2018

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कर्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता समाप्ति की अवधि	मान्यता वृद्धि की तिथि	उद्देश्य
1	एस्कार्ट हार्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली	30.06.2018	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	हृदय रोगों हेतु
2	फारटिस हॉस्पिटल, नौएडा	30.06.2018	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	सभी रोगों हेतु
3	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हॉर्ट इन्स्टिट्यूट, नौएडा	30.06.2018	01.07.2018 से 30.06.2019 तक	सभी रोगों हेतु (हृदय रोगों हेतु कैश-लैस सुविधा)

- उक्त सभी चिकित्सालय पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में दिनांक 30.06.2018 को प्रभावी दरों एवं निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।
- मान्यता अवधि में चिकित्सा दरों में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, किन्तु यदि चिकित्सा दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव कारपोरेशन को प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है किन्तु कोई भी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान कारपोरेशन की अनुमति के बिना अपनी चिकित्सा दरों में वृद्धि नहीं करेगा।
उपरोक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

नोट :-

- उत्तराखण्ड राज्य तथा राज्य से बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान स्वतः मान्यता प्राप्त है।
उक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक : 1502/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- निदेशक (वित्त)/परि०एवंअनु०/परियोजना, पिटकुल, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल
- उपमहाप्रबन्धक (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल
- सम्बन्धित चिकित्सालय।
- सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा०सं०)